उप्र से लाया जा रहा था घी, देशी बताकर 310 रुपए लीटर में बेचा जा रहा था

रतलाम में 1610 लीटर नकली घी जब्त मकान को बना रखा था गोदाम, सील

स्वदेश संवाददाता ■ रतलाम

रतलाम के ग्लोबस सिटी कॉलोनी में शुक्रवार एक मकान को गोदाम बनाकर रखा गया बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया है। उप्र के मुजफ्फरपुर की दो कंपनियों से नकली घी लाकर रतलाम में देशी घी के नाम पर बाजार में 310 रुपए लीटर में बेचा जा रहा था।

प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम ने 1610 लीटर घी को जब्ती में लेकर मकान को सील कर दिया है। शिकायत पर नायब तहसीलदार रामचंद्र पांडेय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेष गुप्ता व अन्य नयागांव टैंकर रोड के पास स्थित ग्लोबस सिटी के एक मकान में दबिश दी। मकान में बड़ी मात्रा में यूपी फ्रेश, मदर बेस्ट के नाम से घी के अलग-अलग पैकेट मिले। पैकिंग भी ऐसी थी हर कोई देख कर देशी घी समझे। मकान से महाकाल ट्रेडर्स के नाम से घी का विक्रय शहर की दुकानों पर किया जा रहा था। महाकाल ट्रेडर्स के विक्रांत त्यागी से अधिकारियों ने पूछताछ की।

पैकेट पर देशी घी अंकित था

अधिकारियों ने व्यापारी विक्रांत त्यागी से पूछताछ की। तो बताया कि वह यूपी के मुजफ्फपुर घी मंगवाता है। ट्रांसपोर्ट से वहां से भेजा जाता है। 310 रुपए लीटर में वह खरीददता है। जबकि बाजार में सवा तीन सौ रुपए लीटर में बेचने की बात बताई। अधिकारियों के अनुसार कम रेट में देशी घी के नाम से बेचना शंकास्पद है। सभी पैकेट पर देशी घी होने के जानकारी अंकित थी। कुल 1610 लीटर घी को खाद्य विभाग ने बरामद कर उसी स्थान पर रख कमरे को सील कर दिया है। अलग-अलग 10 सैंपल लिए है। जो कि जांच के लिए लैब पर भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। घी मुजफ्फपुर की दो कंपनियों सिद्धी ट्रेडर्स व मां वेष्णोदेवी टेड्रर्स से मंगाया जा रहा था। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी शैलेष गुप्ता ने बताया उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई थी। सस्ता घी बेचा जा रहा है। सूचना सही पाई गई। शंका के आधार पर यूपी फ्रेश व मदर बेस्ट घी के सैंपल लिए है।

होली से पहले व्यापारियों में हड़कंप

मिठाई नमकीन के 11 बड़े प्रतिष्ठानों पर छापे, 37 नमूने लिए गए

स्वदेश संवाददाता ■ इंदौर

इंदौर में होली के त्यौहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। इस सप्ताह कलेक्टर शिवम वर्मा ने कलेक्ट्रेट में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में त्यौहार के दौरान खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच अभियान चलाने के कड़े निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि वे अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें और नमूनों का संग्रहण बढ़ाएं। बैठक के बाद प्रशासन की टीम ने न्यू देवास रोड स्थित मालवा मिल क्षेत्र के ओवीके महिला गृह उद्योग पर अचानक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान वहां मेथी बिस्किट, शकर पारा, मैदा फली और भाकरवाड़ी जैसे उत्पाद बनाए जा रहे थे। मौके पर मौजूद प्रोप्राइटर केतन जैन के सामने यह पाया गया कि निर्माण कार्य अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में हो रहा था। स्वास्थ्य अमले ने वहां से 5 नमूने लिए और स्थिति में सुधार होने तक कारखाने में उत्पादन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है। खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी भमोरी स्थित श्री कृष्ण दूध दही भंडार से मिल्क केक और पेड़ा के नमूने लिए गए, जबकि श्री कृष्ण मिल्क एंड स्वीट्स से मावा और पनीर की जांच की गई। छोटी भमोरी में श्री द्वारकाधीश स्वीट्स और अंबिका स्वीट्स पर कार्रवाई करते हुए बेसन लड्डू, बर्फी और नमकीन के कुल 10 नमूने संकलित किए गए।

बुरहानपुर में पिता ने बेटे पर चाकू से किया हमला

बुरहानपुर। बुरहानपुर के निंबोला थाना क्षेत्र के ग्राम बसाड़ में शुक्रवार सुबह एक पिता ने अपने बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना में बेटे के सीने में गंभीर चोट आई है। घायल युवक को जिला अस्पताल बुरहानपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 11:30 बजे हुई। बसाड़ निवासी 30 वर्षीय सूरज को उसके पिता (राजेंद्र सिंह) ने आपसी विवाद के चलते चाकू मार दिया। घटना की सूचना मिलने पर निंबोला थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। 108 एंबुलेंस की मदद से एमटी राजेश दांगी और पायलट प्रमोद महाजन ने घायल सूरज को बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

रतलाम के केदारेश्वर घाट पर हुआ हादसा

तेल से भरे ट्रक में आग, 30 लाख रुपए के 1500 डिब्बे जलकर राख

स्वदेश संवाददाता ■ रतलाम

रतलाम-बांसवाड़ा मार्ग पर सैलाना से आगे सरवन मार्ग स्थित कल्याण केदारेश्वर घाट पर गुरुवार रात करीब 2 बजे खाने के तेल से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ट्रक और उसमें रखे करीब 30 लाख रुपए कीमत के 1500 तेल के डिब्बे जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल मार्ग पर स्थिति सामान्य कर दी गई है।

ट्रक चालक रशीद (पिता कल्लुखा, निवासी टैंकर रोड, रतलाम) ने पूरी घटना के बारे में बताया, 'ट्रक अहमदाबाद से खाने का तेल लोड करके आ रहे थे। रतलाम के कृष्णा ट्रेडिंग पर खाली करना था। घाट पर ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने से आग डीजल टैंक में जा पहुंची। इससे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

हादसे की सूचना मिलते ही सैलाना थाना पुलिस और सैलाना नगर परिषद अध्यक्ष चेतन्य शुक्ला तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

15 लाख की उधारी चुकाने के लिए थमाया दूसरे का फर्जी चेक

स्वदेश संवाददाता ■ धार

शहर के थाना कोतवाली अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपने ही परिचित से 15 लाख रुपये उधार लिए और जब लौटाने की बारी आई, तो किसी अन्य व्यक्ति के चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर उसे थमा दिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता योगेंद्र पटेल निवासी तोरनोद ने पुलिस को बताया कि आरोपी अंकित घाटे निवासी हैप्पीविला कॉलोनी धार से उनकी पुरानी जान-पहचान थी। जनवरी 2022 में आरोपी अंकित ने अपनी पारिवारिक जरूरतों का हवाला देते हुए योगेंद्र से 15 लाख रुपये की मदद मांगी जिसके चलते योगेंद्र ने अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते से 15 लाख रुपये नगद निकालकर उसे उधार दे दिए। जब फरियादी योगेंद्र चौधरी ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने पहले तो टालमटोल किया। दबाव बनाने के बाद दिसंबर 2024 में अंकित ने योगेंद्र को 15 लाख रुपये का एक चेक दिया। जब योगेंद्र ने इस चेक को अपने बैंक में जमा किया तो बैंक ने हस्ताक्षर मिलान न होने के कारण चेक रिजेक्ट कर दिया। मामले में संदेह होने पर जब जांच की गई, तो ज्ञात हुआ कि जिस चेक को अंकित घांटे ने अपना बताकर दिया था, वह गजराज चौधरी नामक व्यक्ति का था। आरोपी अंकित ने गजराज से लोन दिलाने के बहाने कोरा चेक और पासबुक ली थी, जिसका उसने दुरुपयोग किया।

महाकाल के लड्डू का भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वाले रोशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

स्वदेश संवाददाता ■ उज्जैन

उज्जैन में सोशल मीडिया पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जाने वाले श्रीअन्न रागी लड्डू प्रसाद के संबंध में एक भ्रामक वीडियो वायरल किया गया है। उक्त वीडियो में श्रीअन्न रागी लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए लड्डू टूटे होने एवं प्रसाद ग्रहण करने से स्वास्थ्य खराब होने संबंधी निराधार एवं भ्रामक प्रचार किया गया है।

शुक्रवार को यह जानकारी देते महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि श्रीअन्न रागी लड्डू प्रसाद रागी

आटा (मिलेट), गुड़ एवं शुद्ध घी से पूर्ण स्वच्छता एवं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु इस प्रसाद को गहन आस्था एवं विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद लाखों भक्तों की श्रद्धा एवं विश्वास का प्रतीक है। रागी से निर्मित यह श्रीअन्न प्रसादम् कैल्शियम, आयरन और फाइबर का अच्छा स्त्रोत होकर स्वास्थ्यवर्धक है।

प्रसाद को बिखेरकर प्रदर्शित किया गया

वायरल वीडियो में जानबूझकर प्रसाद को बिखेरकर प्रदर्शित किया गया है, जबकि उसी वीडियो में प्रदर्शित अन्य पैकेट में श्रीअन्न रागी लड्डू प्रसाद व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वीडियो भ्रामक है तथा मंदिर की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया है। उक्त भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति रोशन यादव निवासी उज्जैन के विरुद्ध महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा महाकाल थाना, उज्जैन में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह के विद्युत वीर सम्मानित

अनूपपुर। जिले में स्थित मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 5 द्वारा 500 दिन से अधिक निरंतर विद्युत उत्पादन करने के अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए जाने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने कार्यपालक निदेशक तनवीर अहमद को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर चचाई विद्युत गृह के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं व कार्मिकों को सम्मानित किया गया।

कोकिन तस्करी में फरार आरोपी गिरफ्तार

इंदौर। क्राइम ब्रांच ने कोकिन तस्करी से जुड़े एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था, जिसे चिन्हित कर दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी असद शेख के कब्जे से करीब 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोकिन जब्त की गई थी।

सिंगरौली के गांव में सड़क नहीं होने से लड़कियों की शादियां टूटीं

■ ग्रामीण बोले- एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंचती

स्वदेश संवाददाता ■ सिंगरौली

सिंगरौली जिले की सुहिरा अमिलिया ग्राम पंचायत के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां के गोदरी खोली मोहल्ले में सड़क न होने का खामियाजा अब गांव की बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते की खराब हालत और कीचड़ की वजह से यहां अब तक कई लड़कियों की शादियां टूट चुकी हैं। ग्रामीण लहुरमन ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि जैसे ही रिश्तेदारों को गांव के खराब रास्ते और कीचड़ के बारे में पता चलता है, वे शादी से पीछे हट जाते हैं। कई बार तो बारात आने से ठीक पहले ही लोग रास्ता देखकर इनकार कर देते हैं।

दो करोड़ का बजट, पर सड़क कहीं और बनी

हैरानी की बात यह है कि इस मोहल्ले की 3.50 किलोमीटर सड़क के लिए करीब दो करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार विपिन सिंह ने तय जगह पर सड़क न बनाकर उसे पंचायत के दूसरे हिस्से में बनवा दिया। वन विभाग की जमीन पर काम करने की कोशिश में विभाग ने ठेकेदार की जेसीबी भी जब्त की थी। पीडब्ल्यूडी के ईई एसबी सिंह कर्चुली का कहना है कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत कलेक्टर ऑफिस में मिली है। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि अगर जांच में ठेकेदार की गलती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल गांव के लोग मदद की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहे हैं।

पहाड़ी पर नर कंकाल मिलने से सनसनी फैली

जबलपुर। मझोली थाना अंतर्गत बर्रा धाम के पीछे पहाडी में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि पिछले साल गायब हुए युवक का कंकाल है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आकाश ठाकुर 24 वर्ष निवासी नदी मोहल्ला इंद्राना ने सूचना दी कि उसके छोटे भाई लखन ठाकुर 21 वर्ष माह अक्टूबर में कहीं चला गया था जिसकी सूचना 25 अक्टूबर 25 को थाना मझोली में दिया था जिस पर गुमइंसान कायम कर जांच में लिया गया था। गुरूवार को भाई आकाश ठाकुर का कंकाल रूपी शव बर्रा धाम के पीछे पहाडी में हरदुआ के पेड मे फांसी पर लटका मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बुरहानपुर में होली पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश

महिलाओं ने गुलाब, गेंदा, पलाश सहित सेवंती के फूलों से बनाए हर्बल रंग

स्वदेश संवाददाता ■ बुरहानपुर

होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रंग और गुलाल की दुकाने सज गई हैं। बुरहानपुर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यहां मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन ने पर्यावरण की दिशा में अनुकरणीय कदम उठाया है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्राकृतिक हर्बल रंग बनाना शुरू कर दिया है।

बुरहानपुर के खकनार और बसाड गांव में स्व सहायता समूह की महिलाए इस काम में दिन-रात जुटी हैं। महिलाओं ने गुलाब, गेंदा, पलाश सहित सेवंती के फूलों को

सुखाकर प्राकृतिक रंग तैयार किए हैं. यही वजह है कि होली के रंगों में न केवल उत्साह, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देखने को मिलेगा। अन्य समूह की महिलाओं ने इकोफ्रेंडली उत्पाद तैयार किए हैं. इन महिलाओं की लगन और मेहनत को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। 27 व 28 फ़रवरी को होली आजीविका मेला लगेगा। यहां इन उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इससे महिलाओं की अच्छी आमदनी भी होगी।

लोकल फॉर वोकल अभियान को मजबूती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषणों में 'लोकल फॉर वोकल' अभियान को भी मजबूती देने की पहल कर चुके हैं. उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है. इससे प्रेरित होकर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी कमर कस ली है. लोकल उत्पादकों को बनाकर देशभर में बेच रही हैं। अब महिलाओं ने होली का त्योहार के लिए प्राकृतिक रंग तैयार किए हैं। उन्होंने जंगलों से फूल इकट्ठा किए हैं। इसके बाद उन्हें सुखाकर मिक्सर और पत्थरों की सहायता से बारीक पीसा जा रहा है। इस प्रक्रिया से हर्बल रंग तैयार हो रहे हैं. खास बात यह है कि इन रंगों में किसी प्रकार के रासायनिक तत्वों का उपयोग नहीं किया जा रहा। यह पूरी तरह प्राकृतिक है. इससे किसी भी प्रकार से साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank | आस्ति वसुली प्रबंधन शाखा, अरेरा हिल्स, भोपाल, फोन नं. 0755-2550020

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस** आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा / सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लिया गया है, को 'जहां है जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एव जमानतदारों से बैंक / प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:–

ई नीलामी दिनांक : 25.03.2026
(ई-नीलामी का समय: प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 24.03.2026 रात्रि 11.00 बजे तक

ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	मांग पत्र दिनांक / कब्जा दिनांक / बैंक को देय राशि
निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे। प्राधिकृत अधिकारी : श्री बिनीत कुमार | फोन नं. 0755-2550020/9557822211		
मेसर्स शिखरचंद सचिन कुमार (सांकेतिक आधिपत्य) अचल संपत्ति– क्र. 1. श्रीमती अशर्फी बाई जैन पत्नी श्री शिखरचंद जैन की संपत्ति – प्लॉट, भू–सर्वे क्र. 174/5/1/ख मिन 24 का भाग, पटवारी हलका क्र. 26, स्थित– ग्राम शंकरपुर, तहसील एवं जिला अशोकनगर (म.प्र.), क्षेत्रफल: 1450 वर्गफीट (134.75 वर्गमीटर), चतुर्सीमाएँ: पूर्व– 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम–श्री कुर्मी पटेल की भूमि, उत्तर– विक्रेता की भूमि, दक्षिण– विक्रेता की भूमि.	(₹) 13,05,000/- / (₹) 1,30,500/-	
अचल संपत्ति– क्र. 2. श्रीमती अशर्फी बाई जैन पत्नी श्री शिखरचंद जैन की संपत्ति – प्लॉट व उस पर निर्मित भवन क्र. 377, भू–सर्वे क्र. 369 का भाग, वार्ड क्रं. 22, स्थित– सरस्वती कॉलोनी, अशोकनगर (म.प्र.), क्षेत्रफल–400 वर्गफीट (37.16 वर्गमीटर), चतुर्सीमाएँ: पूर्व– 10 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम– श्री दीमान सिंह मकान, उत्तर– श्री सुरेश जैन का मकान, दक्षिण– आम रास्ता 15 फीट चौड़ा.	(₹) 21,24,000/- / (₹) 2,12,400/-	
अचल संपत्ति– क्र. 3. श्री बृजेश गुर्जर पुत्र श्री कल्याण सिंह गुर्जर (कानूनी वारिसों द्वारा) की संपत्ति –प्लॉट क्र. 6,7 व उस पर निर्मित भवन, भू–सर्वे क्र. 755 मिन–8 का भाग, पटवारी हलका क्र. 27, वार्ड क्र. 3 (पुराना) एवं नया वार्ड नं. 7, स्थित–वृंदावन धाम कॉलोनी, कोलुआ रोड, अशोकनगर (म.प्र.), क्षेत्रफल–1200 वर्गफीट (111.52 वर्गमीटर), चतुर्सीमाएँ: पूर्व–श्री राम का प्लॉट, पश्चिम: श्री राजा भैया डोंगरे वालों का मकान, उत्तर– आम रास्ता–कोलुआ रोड, दक्षिण– प्लॉट क्र. 54, 41.	(₹) 43,20,000/- / (₹) 4,32,000/-	07.02.2023 / 27.04.2023 / रु. 32,43,068.46 + ब्याज व अन्य चार्जेज
अचल संपत्ति– क्र. 4. श्रीमती अशर्फी बाई जैन पत्नी श्री शिखरचंद जैन की संपत्ति –प्लॉट, पटवारी हल्का क्र. 07, भू–सर्वे क्र. 149/मिन–46 का भाग, स्थित– ग्राम पंचायत पछारी तहसील एवं जिला अशोकनगर (म.प्र.), क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट (185.87 वर्गमीटर), चतुर्सीमाएँ: पूर्व– प्रस्तावित 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम– श्री अनिल कुमार जैन का प्लॉट नं. 7 एवं 8, उत्तर– प्रस्तावित 20 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण– प्लॉट क्र. 10.	(₹) 18,00,000/- / (₹) 1,80,000/-	
अचल संपत्ति– क्र. 5. श्री बृजेश गुर्जर पुत्र श्री कल्याण सिंह गुर्जर (कानूनी वारिसों द्वारा) की संपत्ति – प्लॉट, भू–सर्वे क्र. 171/2/मिन 23 का भाग, पटवारी हल्का क्रं. 22, स्थित– कोलुआ रोड से 140 फीट अंदर की तरफ, ग्राम– बांसखेड़ी तहसील एवं जिला–अशोकनगर (म.प्र.), क्षेत्रफल–725 वर्गफीट (67.37 वर्गमीटर), चतुर्सीमाएँ: पूर्व– श्री सचदेवा जी की भूमि, पश्चिम– श्री ब्रजेन्द्र सिंह यादव का प्लॉट नं. I–01, उत्तर– प्रस्तावित 20 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण–श्री शांती स्वरूप आनन्द का प्लॉट नं. I–03.	(₹) 9,78,000/- / (₹) 97,800/-	
मेसर्स वेष्णों इंडस्ट्रीज (सांकेतिक आधिपत्य) श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री पान सिंह की सपंत्ति–भू–सर्वे क्र. 1070 (भाग) पीएच संख्या 24, ग्राम–गुरीखा, तहसील गोहद, जिला– भिंड (म.प्र.) के भाग में स्थित परिवर्तित भूमि क्षेत्रफल–3000 वर्गमीटर, चतुरसीमाएँ: पूर्व–भू–सर्वे क्र. 1069 (भाग) की भूमि, पश्चिम–अन्य की संपत्ति, उत्तर–अन्य की संपत्ति, दक्षिण–सड़क.	(₹) 44,45,000/- / (₹) 4,44,500/-	05.01.2016 / 22.03.2016 / रु. 1,21,03,370.10 + ब्याज व अन्य खर्चे
श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री पान सिंह की सपंत्ति–फैक्ट्री भूमि एवं भवन, सर्वे क्रमांक 1081 (भाग) पीएच क्रमांक 24, स्थित–ग्राम गुरीखा, तहसील गोहद, जिला–भिंड (म.प्र.) क्षेत्रफल–6000 वर्ग मीटर, चतुरसीमाएं– पूर्व–अन्य की संपत्ति, पश्चिम–नहर एवं सड़क उत्तर–सड़क, दक्षिण–अन्य की संपत्ति	(₹) 57,55,000/- / (₹) 5,75,500/-	
मेसर्स आईडियल एग्रोग्रोथ एण्ड वेयर हाउसिंग प्रा.लि (भौतिक आधिपत्य) अचल संपत्ति– मेसर्स टाईम टूडे मीडिया नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा (डायरेक्टर–श्री आदर्श सिंह कुशवाह) की संपत्ति– भूमि और भवन, स्थित–अनुप्रास कॉम्प्लेक्स, भू–सर्वे क्र. 72/2 क–2, वार्ड –18, शुभंजालिपुरम, स्थित ग्राम– महाराजपुरा, रमन्ना, तहसील व जिला–ग्वालियर (म.प्र.), क्षेत्रफल: 524.34 वर्गमीटर, चतुरसीमाएं: पूर्व–कॉलोनी रोड, पश्चिम– अन्य की संपत्ति (कॉमन पैसेज), उत्तर–कालोनी रोड, दक्षिण– संपत्ति–अनुप्रास कॉम्प्लेक्स शॉप।	(₹) 1,71,00,000/- / (₹) 17,10,000/-	12.04.2021 / 13.10.2022 / रु. 4,58,87,606.12 + ब्याज व अन्य चार्जेज
मेसर्स एस.एस. वियर हाऊस (प्रोप.- श्री सामंत सिंह) सांकेतिक आधिपत्य श्री सामंत सिंह पुत्र श्री पानसिंह की संपत्ति फेक्ट्री भूमि एवं भवन एस.एस. वियर हाऊस – सर्वे नं. 1067 का भाग, पटवारी हल्का नं. 26, मालनपुर इंडस्ट्रीयल एरिया के पास, ग्राम गुरीखा, तहसील–गोहद, जिला–भिंड, प्लॉट क्षेत्रफल: 4000 वर्ग मीटर चतुरसीमाएँ– पूर्व: सरकारी नाला, पश्चिम: वैष्णो इंडस्ट्रीज उत्तर: श्री अजय सिंह जी की जमीन, दक्षिण: वॉटर केनाल	(₹) 65,07,000/- / (₹) 6,50,700/-	05.01.2016 / 22.03.2016 / रु. 78,30,177.40 + ब्याज व अन्य खर्चे
मेसर्सः श्रीराम वेयरहाउस (सांकेतिक आधिपत्य) श्रीमती प्रभा देवी सोनी पत्नी श्री राम बिहारी सोनी की संपत्ति तीन विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2013 से खरीदी गई कुल भूमि (0.833+0.213) 1.046 हेक्टेयर भूमि सर्वे क्रं. 1436/2/2 एवं 1437, पटवारी हल्का 123, पर निर्मित वेयरहाउस, अन्य निर्माण एवं खुली भूमी, स्थित: रेलवे लाईन के समानान्तर, रेल्वे स्टेशन रोड, गाँव बसई, जिला दतिया (म.प्र) चतुरसीमाएँ: पूर्व: रेलवे स्टेशन रोड, पश्चिम: पहाड़ी भूमि, उत्तर: श्रीराम बिहारी एवं सुशील सोनी की सम्पत्ति, दक्षिण: श्रीराम बिहारी एवं सुशील सोनी की सम्पत्ति	(₹) 81,81,000/- / (₹) 8,18,100/-	18.05.2018 / 05.09.2018 / रु. 1,18,23,447.00 + ब्याज व अन्य चार्जेज
मेसर्स पिताम्बरा ट्रेड लिंक (प्रोप. श्री ओम प्रकाश दुबे), श्रीमती उमा दुबे पत्नी श्री ओम प्रकाश दुबे (सांकेतिक आधिपत्य) श्रीमती उमा दुबे पत्नी श्री ओम प्रकाश दुबे की संपति का समस्त भाग नगर निगम मकान नं. 1632 वार्ड नं. 17/38 में आवासीय भवन, भूमि सर्वेक्षण संख्या 1459, 1482, 1473, 1500, 1510, 1511, 1464/मिन–1, 1488/मिन–1 (भाग), स्थित–हरकोटा, नवगढ़ कॉलोनी, सेक्टर नं.2, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र), क्षेत्रफल 1925 वर्गफीट/176.90 वर्ग मीटर, चतुरसीमाएँ: पूर्व में श्रीमती मीरा जगदीश राठौर का प्लाट, पश्चिम में – विक्रेता की जमीन, उत्तर में मास्टा गौड़ का प्लाट, दक्षिण में– अनिल शर्मा के मकान के बाद वाली सड़क.	(₹) 70,59,000/- / (₹) 7,05,900/-	02.12.2019 / 06.08.2025 / रु. 58,15,240.80 + ब्याज व अन्य खर्चे
श्रीमती पूनम खैनवार और श्री दीपक खैनवार (सांकेतिक आधिपत्य) 1. श्रीमती पूनम खैनवार पत्नी श्री दीपक खैनवार की संपत्ति–फ्लैट संख्या 807 (2 बीएचके), 8वीं मंजिल, एंजेल हाइट्स, नगर निगम, वार्ड क्र. एवं संपत्ति संख्या 60/4999 (पुराना) और वर्तमान वार्ड क्र. 61, ग्राम– सिरौल का भाग, भूमि एवं सर्वे क्र. 450/1/घा, स्थित– एंजेल हाइट्स, ग्राम–सिरौल, मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.) क्षेत्रफल–731 वर्गफुट (67.93 वर्गमीटर), चतुरसीमाएं: पूर्व–फ्लैट संख्या 805, पश्चिम– फ्लैट संख्या 808, उत्तर–खुला, दक्षिण–लॉबी.	(₹) 20,72,000/- / (₹) 2,07,200/-	22.04.2025 / 09.07.2025 / रु. 37,23,948.38 +ब्याज व अन्य चार्जेज
2. श्रीमती पूनम खैनवार पत्नी श्री दीपक खैनवार की संपत्ति–फ्लैट संख्या 805 (2 बीएचके), 8वीं मंज़िल, एंजेल हाइट्स, नगर निगम वार्ड क्रमांक एवं संपत्ति क्रमांक 60/4999 (पुराना) और वर्तमान वार्ड क्रमांक 61, ग्राम–सिरौल का भाग, भूमि एवं सर्वे क्रमांक 450/1/घा, स्थित–एंजेल हाइट्स, ग्राम–सिरौल, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.), क्षेत्रफल–731 वर्गफुट (67.93 वर्गमीटर), चतुरसीमाएं: पूर्व–फ्लैट क्रमांक 803, पश्चिम– फ्लैट क्रमांक 807, उत्तर–खुला, दक्षिण– लॉबी, फिर फ्लैट क्रमांक –806.	(₹) 20,72,000/- / (₹) 2,07,200/-	
श्री रविन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री बालिस्टर सिंह तोमर (भौतिक आधिपत्य) श्री रविन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री बालिस्टर सिंह तोमर रिहायशी फ्लैट क्र. T-403, 3rd फ्लोर, कृष्णा अपार्टमेंट, T–ब्लॉक नं., सम्पत्ति क्र. 4/2915, 4/2916 एवं 4/2917 का भाग, स्थित प्लॉट क्र. 6, 7 एवं 8, वार्ड नं. 4, स्थित सर्वे नं. का भाग क्र. 18, 19, 22, 23, 166, 167, 168, 169 एवं 176, गालव नगर, सदाशिव नगर की उत्तर दिशा में, घाटमपुर, लश्कर, ग्वालियर, (म.प्र.), क्षेत्रफल: 76.20 वर्ग मीटर / 820 वर्गफीट, चतुरसीमाएँ: पूर्व: फ्लैट नं. T.402, आम रास्ता, पश्चिम: भूमी क्र. 9, 10 एवं 11, उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: आम गलियारा, लिफ्ट एवं फ्लैट नं. T.404	(₹) 28,86,000/- / (₹) 2,88,600/-	07.04.2017 / 20.07.2017 / रु. 23,52,072.00 +देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स हनुमान ऑयल कम्पनी (प्रोपराईटरः श्री हेमचन्द जैन) सांकेतिक आधिपत्य श्रीमती रजनी जैन पत्नी श्री सतीश चन्द जैन की सपंत्ति: दुकान नं. A–53, कमर्शियल (दुकान+ ऑफिस) ग्राउण्ड एवं प्रथम फ्लोर, जाटनी का बाग, वार्ड क्र. 38, न.नि. भवन क्र. 21/3/A–53, पटवारी हल्का क्र. 21/3, पुराना खसरा क्र. 2087 का भाग, मौजा–घटवासान, छत्ता वार्ड, जीवनी मण्डी, आगरा (ऊ.प्र.) क्षेत्रफल: 111 वर्गमी. (133 वर्गयार्ड) चतुरसीमायें: पूर्व: प्लॉट नं. A–52 अब निर्मित संपत्ति, पश्चिम: A–54 अब निर्मित संपत्ति, उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: अन्य की सपंत्ति।	(₹) 53,16,000/- / (₹) 5,31,600/-	31.01.2022 / 24.05.2022 / रु. 28,51,590.35 + ब्याज व अन्य खर्चे

नियम एवं शर्तें :- 1. विक्रय सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के आधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। 2. सम्पत्तियों की बिक्री "जहां है जैसा है एवं जिस अवस्था में है" के आधार पर होगी। 3. ऊपर वर्णित सम्पत्तियों का विवरण सुरक्षित ऋणदाता को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु सुरक्षित ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक लिये जिम्मेदार नहीं होगा। 4. विक्रय अधिकृत ऑनलाईन ई-निलामी सेवा प्रदाता के द्वारा **25/03/2026** को वेबसाइट https://baanknet.com पर किया जायेगा। इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता PSB Alliance के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए https://baanknet.com & www.pnb.bank.in पर देखें।

दिनांक : 27.02.2026 स्थान : भोपाल

सुरक्षित ऋणदाता, पंजाब नैशनल बैंक